न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 47/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री लालूराम पिता स्व. श्री नंदराम जी डांगी निवासी डांगियों का गुड़ा तहसील बड़गांव जिला उदयपुर (राज0)
2. श्रीमती ऐजी बाई पुत्री स्व. श्री नंदराम जी पत्नी श्री डूंगा जी डांगी सापेटिया तहसील बड़गांव जिला उदयपुर (राज0)
3. श्रीमती गुड्डी पुत्री स्व. श्री नंदराम जी पत्नी श्री शंकर जी डांगी निवासी पुलां तहसील बड़गांव जिला उदयपुर (राज0)

.... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती अंबाबाई पत्नी श्री सुशील कुमार डांगी निवासी मदार तहसील बड़गांव जिला उदयपुर (राज0)
2. सरकार जरिये तहसीलदार बड़गांव उदयपुर (राज0)

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) गिर्वा दिनांक 18–05–2017 प्रकरण
संख्या 241/2015 वाद

––––

उपस्थित :–1– श्री सुखराम डिडेल अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री रोशनलाल जैन अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता

––––/––––

निर्णय **दिनांक 06–12–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या–1 से 3 व रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 सरकार के विरूद्ध वादिया रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मदार में स्थित आराजी नंबर 4148

रकबा .865 हैक्टर स्थित है। यह भूमि पहले नन्दराम जी को राज्य सरकार द्वारा आवंटित की जाकर उनके खाते में थी। करीब पिछले 25–30 वर्षो से कब्जा वादिया व उसके परिवार का ही था। वादिया नन्दराम जी की भान्जी है तथा नन्दराम जी उससे असीम स्नेह करते थे। नन्दराम जी की पत्नी की मृत्यु 2000 के आसपास से वादिया ही नन्दराम जी की देखभाल व सेवा करती थी। उक्त सेवा से प्रसन्न होकर 7–2–2011 को रजिस्टर्ड दानपत्र से यह भूमि नन्दराम जी ने वादिया को दे दी। जिस पर वादिया का पूर्व से ही कब्जा था। नन्दराम जी की मृत्यु 25–3–2011 को होने के बाद वादिया इन भूमि की विधिक उत्तराधिकारी होती है। परन्तु राजस्व कर्मियों ने भूमियां प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के नाम दर्ज कर दी, जो कि विधि विरूद्ध है। नामान्तरण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में विधि विरूद्ध है तथा त्रुटिपूर्ण नामान्तरण से वे उक्त भूमि को बेच सकते है व बेज़ा दखलन्दाजी करते है। वादिया को घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री दिलवाई जाय।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सम्वत् 2068–71 में भूमि विवादित नन्दराम जी की गैर–खातेदारी में थी तथा खातेदारी दिनांक 22–1–2013 को दर्ज हुई। दिनांक 30–7–2015 को विरासत से प्राकृतिक वादिया उत्तरदाता प्रातिवादीगणों के नाम दर्ज हुई तथा वे ही भूमि पर काबिज है। वादिया का दावा गलत है। भूमि पर प्रतिवादीगण प्राकृतिक वारिसान होकर काबिज है। नन्दराम जी ने कोई दस्तावेज वादिया के पक्ष में निष्पादित नहीं किया है कानूनी रूप से गैर–खातेदारी भूमि का हस्तानान्तरण प्रारम्भ से अवैध है। उपरोक्त जवाबदावे के बाद वादिया द्वारा आदेश–8नियम–9 का आवेदन प्रस्तुत कर जावाबूल जवाब पेश किये जाने की अनुमति चाही।

उक्त आवेदन का निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16–5–2017 को करते हुए आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया **जिसमें 2 पृष्ठों (आदेशिका) के आदेश व पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर बाबत् आदेशिका अवलोकनीय व विचारणीय है।**

उक्त आदेश के बाद पत्रावली को दिनांक 5–4–2017 को दस्तावेज/तनकियात के लिए नियत किया गया। दिनांक 5–4–2017 को 19–4–2017 की पेशी दी गई। दिनांक 19–4–2017 को दिनांक

16–5–2017 की पेशी दी गई। दिनांक 16–5–2017 के स्थान पर पत्रावली दिनांक 18–5–2017 को कैम्प मदार पर रखी जाकर सिर्फ वादिया को सुनकर प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने वादिया का वाद डिक्री कर दिया गया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 18–5–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30–6–2017 को पेश की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 की और से अधिवक्ता श्री रोशनलाल जैन ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 की और से औपचारिक पक्षकार सरकार की और से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की, वहीं अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि प्रकरण में दिनांक 16–5–2017 की नियत पेशी पर पत्रावली नहीं निकाली गई तथा दिनांक 18–5–2017 को अपीलान्ट प्रतिवादी को सूचना दिये बिना प्रकरण में सिर्फ वादिया को सुनकर प्रकरण में एक–तरफा डिक्री कर दी।

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलान्ट को सूचित किये बिना, सुने बिना व विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया निर्णय है। कानूनी बिन्दू प्रमुख रूप से गैर–खातेदार को हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं होने के विधिक प्रावधाान के विरूद्ध उक्त निर्णय पारित किया गया है। दान–ग्रहिता की अभिस्वीकृति भी नहीं है। दानपत्र अवैध है तथा विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16–5–2017 के लिए नियत दिनांक के बाद सुनवाई दिनांक 18–5–2017

की अपीलान्ट प्रतिवादी खातेदार को सूचना नहीं दी है, न ही उसे सुना गया है। प्रकरण में विरोधाभाषी प्लीडिंग्स होने तथा प्रकरण तनकीयात में तय होने के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना, बिना तनकीयात कायम किये तथा साक्ष्य लिए प्रकरण में निर्णय यपारित किया है। अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायायिक नजीर 2012–2 R.L.W. (R J) 777 के अनुसार धारा–41 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत गैर–खातेदार को हस्तानान्तरण का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट प्रतिवादी के विधिक उजर इस आशय के उपलब्ध होने के बावजूद इस बिन्दू पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई फाईण्डिग नहीं दी है।

उपरोक्तानुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय, स्थापित विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल विधिक उपरोक्त उजरों का विवेचन किये बिना जो निर्णय पारित किया है, वह तथ्यात्मक व विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकारी की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–5–2017 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में तनकीयात कायम कर उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर विधिक प्रक्रिया का पालन करने हुए विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 7–2–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06–12–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर